भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1303

02 मई, 2016 को उत्तर के लिए

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

1303. श्री चंदूलाल साहूः

श्री ओम बिरलाः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सितम्बर, 2015 में शुरू हुई प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के माध्यम से मंत्रालय द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ख) क्या पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि हेतु इस राशि के कतिपय प्रतिशत इस्तेमाल के संबंध में दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जिन क्रियाकलापों में अब तक इन राशियों का इस्तेमाल किया गया है उनका राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान में कितने राज्यों में पीएमकेकेकेवाई को लागू किया जा रहा है और पीएमकेकेकेवाई को देश के सभी राज्यों में लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

<u>खान एवं इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)</u>

(क) से (घ) : एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9ख में खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित किसी भी जिले में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना करने संबंधी प्रावधान किया गया है जिसका उद्देश्य खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए कार्य करना है । डीएमएफ का वित्तपोषण, खनन पट्टा धारक से सांविधिक अंशदान द्वारा किया जाता है ।

खनन से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित के लिए डीएमएफ के कार्य करने की विधि, डीएमएफ के संघटन और कार्यों को भी शामिल करते हुए नियमों को राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाएगा ।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) को, डीएमएफ में प्राप्त निधियों का उपयोग करते जुए संबंधित जिलों के जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जिसका उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए कुल प्राप्त निधि का क्रमश: 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का उपयोग करते हुए किया जाएगा ।

कुछ राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक और ओडिसा ने डीएमएफ की स्थापना कर ली है तथा नियम बनाएं हैं । तथापि,

डीएमएफ की स्थापना, नियमों को तैयार करने, प्राप्त निधि, डीएमएफ और पीएमकेकेकेवाई के लिए निधियों के उपयोग संबंधी विवरण केंद्र में नहीं रखे जाते हैं ।

सभी राज्यों को जिला खनिज फाउंडेशन के लिए उनके द्वारा बनाए गए नियमों में पीएमकेकेकेवाई को शमिल करने हेतु निदेश भी जारी किए गए हैं । खान मंत्रालय, डीएमएफ के लिए नियमों को तैयार करने तथा पीएमकेकेकेवाई स्कीम के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति को मॉनीटर करने के लिए लगातार राज्य सरकारों के साथ संपर्क में है ।

******